न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्याः 370/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/528)

वादी बनाम	प्रतिवादीगण
1. चनन सिंह पुत्र भजन सिंह जाति बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।	1. मुखत्यार कौर पत्नी राम सिंह पुत्री भजन सिंह बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 2. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

तारीख रजू 04.12.2025

उपस्थितः 1. श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण
2. श्री श्याम लाल अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

––निर्णय––   दिनांकः 24.12.2025

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 18/15 के मुरब्बा नम्बर 42, 68/11 की कुल 3.163 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.527 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 19/16 के मुरब्बा नम्बर 10, 68/38 की कुल 5.819 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम 0.922 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्यगण है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से उक्त वर्णित समस्त कृषि भूमि राजस्व अभिलेख में संयुक्त रूप से दर्ज है। वादी एंव प्रतिवादी ने उक्त भूमि की आपसी सहूलियत से बंटवारा किया हुआ है। बंटवारानामा अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी उक्त 1.449 हैक्टेयर भूमि वादी को सुपुर्द की हुई है। उक्त पारिवारिक बंटवारा के अनुसार ही वादी आज तक उक्त 1.449 हैक्टेयर भूमि पर शांतिपूर्वक, निर्बाध, निरंतर काबिज चले आ रहे है। उक्त पारिवारिक बंटवारा के अनुसार वादी उक्त भूमि पर काबिज अवश्य है, लेकिन उक्त भूमि का आज तक राजस्व अभिलेख में अंकन प्रतिवादी संख्या 1 ने नहीं करवाया है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार कहा था कि वह सहमति से भूमि का अंकन करवा देवे, तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि कब्जा भूमि का मुताबिक बंटवारा के अनुसार आपको दिया हुआ है तथा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज से 1 माह पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को आग्रह किया था कि वह सहमति से पारिवारिक बंटवारा के अनुसार 1.449 हैक्टेयर भूमि का अंकन राजस्व अभिलेख में वादी के नाम से दर्ज करवा देवे, तो प्रतिवादी संख्या 1 ने स्पष्ट इन्कार कर दिया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 18/15 के मुरब्बा नम्बर 42, 68/11 की कुल 3.163 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.527 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 19/16 के मुरब्बा नम्बर 10, 68/38 की कुल 5.819 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.922 हैक्टेयर भूमि कुल 1.449 हैक्टेयर भूमि का वादी को खातेदार घोषित किए जाने के आदेश दिए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्याम लाल उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया। जवाबदावा अनुसार राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 18/15 के मुरब्बा नम्बर 42, 68/11 की कुल 3.163 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.527 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 19/16 के मुरब्बा नम्बर 10, 68/38 की कुल 5.819 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.922 हैक्टेयर भूमि कुल 1.449 हैक्टेयर भूमि का खातेदार वादी को घोषित किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 को कोई आपत्ति, एतराज नहीं है। हस्तगत प्रकरण प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से सहमति का जवाबदावा पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र प्रस्तुत उभयपक्ष की सहमति अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

सहायक कलक्टर एव पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने वादी का वादपत्र, उभयपक्ष की सहमति अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादी का वादपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र उभयपक्ष की सहमति मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अत: अंतिम डिक्री बहक वादीगण, विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी चनन सिंह पुत्र भजन सिंह को राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 18/15 में क्रम संख्या 7 पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.527 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 19/16 में क्रम संख्या 9 पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.922 हैक्टेयर भूमि कुल 1.449 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर (एच) पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलक्टर (एच) पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. चनन सिंह पुत्र भजन सिंह जाति बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर।		2. मुखत्यार कौर पत्नी राम सिंह पुत्री भजन सिंह बावरी निवासी 6 वीं धनूर तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिए तहसील राजस्व, श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वादपत्र धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आरटीए
मुकदमा नम्बर **370/2025**
निर्णय दिनांक :-24.12.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री श्याम लाल उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर वादी चनन सिंह पुत्र भजन सिंह को राजस्व ग्राम 12 एस, पटवार हल्का धनूर, भू.अ.नि. क्षेत्र धनूर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 18/15 में क्रम संख्या 7 पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.527 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 19/16 में क्रम संख्या 9 पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज 0.922 हैक्टेयर भूमि कुल 1.449 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। आज दिनांक 26.12.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	02	00
स्टाम्प ड्यूटी	1450	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**1454**	**00**	**योग**	**04**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 26.12.2025

क्रमांक: रीडर/2025/950
प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर